बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 14/10/2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–36/2026 2943 /यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–575/2026 अभिमन्यु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–20.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

***"...6. Considering the limited nature of prayer being made by the learned counsel for the petitioner, this writ application is disposed of directing the Director, Primary Education, Department of Education, Government of Bihar, Patna (Respondent No. 3) to dispose of the pending representation of the petitioner dated 10.11.2024 (Annexure- P/8) within a period of six months from the date of receipt/production of a copy of this order after giving an opportunity of hearing to the petitioner. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the Director, Primary Education, Department of Education, Government of Bihar, Patna (Respondent No. 3) should be a reasoned and speaking order. It is further made clear that in case the petitioner is found entilted to the relief which the petitioner has claimed through the representation then the same should be extended to the petitioner within three months from the date of passing of the final order by the authority concerned.***

***7. With the aforesaid observation and direction, the present writ application is disposed of. All pending Interlocutory Applications, if any, will be deemed to have been disposed of...."***

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वाद का निष्पादन हेतु याचिकाकर्त्ता को विभागीय पत्रांक–952 दिनांक–27.02.2026 पत्रांक–992 दिनांक–10.03.2026, पत्रांक–1200 दिनांक–06.04.2026, पत्रांक–1399 दिनांक–21.04.2026 तथा पत्रांक–2839 दिनांक–30.09.2026 केद्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तुस्थिति रखने का अवसर दिया गया। दिनांक–07.10.2026 को निर्धारित सुनवाई में याचिकाकर्त्ता उपस्थित हुए एवं उनके तथ्यों को विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्ता द्वारा विभागीय स्तर पर दिए गए अभ्यावेदन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के कार्यालय पत्रांक–277 दिनांक–04.04.2026 के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत् होता है:–

(i) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, अमनौर सारण के ज्ञापांक–778 दिनांक–31.08.2016 द्वारा याचिकाकर्त्ता को प्रखण्ड शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया।

(ii) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अभिमन्यु कुमार के पिता–स्व0 कपिलदेव सिंह की मृत्यू दिनांक–08.07.2012 को हुई एवं श्री कुमार को दिनांक–01.09.2016 को अप्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय झखरा, अमनौर, जिला–सारण में नियोजित किया गया।

(iii) तत्पश्चात् श्री कुमार, को दिनांक–22.05.2019 से प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया। एवं दिनांक–26.12.2024 से विशिष्ट शिक्षक के रूप कार्यरत है।

(iv) याचिकाकर्त्ता वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक नियोजित प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे है।

(v) याचिकाकर्त्ता द्वारा अभ्यावेदन में यह अंकित किया गया है कि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति कर नियुक्ति तिथि से नियुक्त वेतनमान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सी0) 4776–4777 में दिनांक–03.04.2017 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

*".....We direct that the Appellents who were recommended for appointment to class III or IV posts prior to 01-07-2006 will either be appointed on class III or class IV posts on regular basis or will be entitled for continuance as Teacher on a regular pay scale. The other appellants who were appointed after 01-07-2006 will not be enlitled for the relief of regularpay scales. However, we grant them liberty to approach the state Government for suitable relief in terms of the order passed in SLP (C) No. 29655 of 2010..."*

*SLP (C) No. 29655 of 2010* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–26.11.2012 का पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

***".....Counsel for the respondent-State submits that if the petitioners withdraw this petition and move the authorities concerned, their cases shall be considered by the authorities concerned keepingin view the facts and circumstances of each case. In view of the above statement, petitioners are permitted to withdraw this special leave petition with liberty to move the authorities concerned who shall take a decision thereon expeditiously.***

***In view of the order passed above, the application for intervention does not survive and the same is dismissed....."***

एस0एल0पी0 (सी0) 4776–4777 में दिनांक–03.04.2017 को पारित न्यायादेश, विभागीय अधिसूचना संख्या–216 दिनांक–24.02.2023 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–216 दिनांक–24.02.2023 संबंधित वादी पर लागु नही होने के कारण सी०डब्लू०जे०सी० सं०–575/2026 अभिमन्यु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–20.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन की तिथि से नियमित वेतनमान के दावे को अस्वीकृत किया जाता है। एवं वाद का निस्तारण किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/मु0–01–36/2026 2943 पटना, दिनांकः– 14/10/2026

प्रतिलिपिः– Abhimanyu Kumar Son of Late Kapil Dev Singh, resident of village- Bheldi, P.O. and P.S.- Bheldi, District- Saran, presently posted/working as Prakhand/Vishisht Teacher in Middle School, Jhakahra, Block- Amnour, District- Saran. को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।